

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरबा वनमण्डल कोरबा (छ.ग.)

☎ का. : 07759-221273, नि. : 07759-222504, फ़ैक्स 07759-223531, Email : dfo_korba@yahoo.co.in

क्रमांक/तक.अ/ 1327

कोरबा, दिनांक 22/07/2023

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक

बिलासपुर वृत्त बिलासपुर

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under forest Conservation Act, 1980 Proposed for Jio Digital Fibre Private Ltd. Raipur Laying of Optical Fibre Cable (OFC) line in Korba Forest Division under Korba District of Chhattisgarh State Area 6.713 ha.

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/OFC/150589/2021

- संदर्भ :-
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ) छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क/भू-प्रबंध/विविध/एल.एम.-115-914A/63 रायपुर दिनांक 19.01.2022
 2. असिस्टेंट वॉईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजिटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड रायपुर का पत्र क./ जिडिफाप्रालि/वनभूमि/व्यपवर्तन/2022/01 दिनांक 31.01.2022

-00-

विषयांतर्गत लेख है कि जियो डिजिटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा कोरबा वनमण्डल अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत करतला-सेमीपाली, कोरबा-हाटी, कोरबा -लेमरू एवं लेमरू-लबेद-हाटी मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 234.00 कि.मी. सड़क के किनारे राईट आफ वे अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु संरक्षित वन भूमि रकबा 4.160 हेक्टेयर, नारंगी क्षेत्र 2.379 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि 0.174 हेक्टेयर कुल 6.713 हेक्टेयर वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन/प्रत्यावर्तन हेतु 21 बिन्दु में प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत की गई है।

अतः उपरोक्त प्रत्यावर्तन प्रस्ताव आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित है।

सहपत्र - उपरोक्तानुसार

वनमण्डलाधिकारी

कोरबा वनमण्डल कोरबा

कोरबा, दिनांक 22/07/2023

पृ. क्रमांक/तक.अ/ 1328

प्रतिलिपि - अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ) छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

कोरबा वनमण्डल कोरबा